न्यायालय:– विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अजय कुमार भोजक
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दांडिक प्रकरण सं.: 37/2026 Cis No. 03/2026
CNR–RJSG070000492026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –315/2025 पुलिस थाना–पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

हुसनप्रीत सिंह पुत्र निक्का सिंह, निवासी वार्ड नंबर 18, 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज०

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–497 बीएनएसएस (451 दण्ड प्रक्रिया संहिता old)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –315/2025 पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
अपराध अंतर्गत धारा–8/21 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति:–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश कालड़ा।
2. अप्रार्थी की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक श्री विजेन्द्र कुमार।

–आदेश– **दिनांकः 24.03.2026**

1. प्रार्थी **हुसनप्रीत सिंह** की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–497 बीएनएसएस प्रस्तुत करने पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से धारा–497 बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का वाहन **मोटरसाईकिल हीरो रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13 आरएस 3564 चेसिस नम्बर MBLHAW238R4K01449 ईंजन नम्बर HA11E8R4K12984** है, को पुलिस थाना द्वारा बतौर वजह सबूत अपने कब्जा में लिया गया है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। पुलिस थाना में जब्तशुदा वाहनों को खड़ा करने के लिये गैराज आदि की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त वाहन के टायर ट्यूब, रंग रोगन इत्यादि खराब होने की पूरी–पूरी संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है। वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा, प्रार्थी वाहन को अपने खर्चे पर न्यायालय के समक्ष

पेश कर देगा व उक्त वाहन के रंग, रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा व स्वामित्व हस्तांतरण आगे नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते प्रार्थी पर अधिरोपित की जायेंगी, प्रार्थी उनका पालन करेगा। अंत में उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

3. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि उक्त जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड स्वामी है, प्रार्थी को उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। वाहन के पुलिस थाना में खड़े रहने से उसके रंग रोगन आदि के खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी द्वारा वाहन की आर.सी., बीमा प्रमाण पत्र, प्रार्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की गई ।

5. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय निम्न प्रकार से है:–

7. हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की ओर से वाहन के आर.सी., बीमा प्रमाण पत्र, प्रार्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई है। प्रार्थी वाहन का स्वामी है आरसी में प्रार्थी का नाम अंकित है। आर.सी., बीमा प्रमाण पत्र, प्रार्थी के आधार कार्ड का अवलोकन कर लौटाये गये। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. अतः प्रार्थी **हुसनप्रीत सिंह** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 बीएनएसएस निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी राशि **75,000/–रुपए (अखरे पचहत्तर हजार रूपये)** का सुपुर्दगीनामा व इतनी ही राशि का जमानतनामा इस आशय का पेश करेगा कि :–

(1) न्यायालय जब भी आदेश करेगा प्रार्थी उक्त वाहन को न्यायालय में पेश कर देगा।

(2) प्रार्थी उक्त वाहन के चारों ओर के फोटोग्राफ्स थानाधिकारी की उपस्थिति में खिंचवा कर पेश करेगा, जिसमें वाहन का पंजीयन नम्बर, ईन्जन नम्बर व चैसिस नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। उक्त फोटोग्राफ्स मामले की पत्रावली में संलग्न किए जावेंगे,

(3) यह कि सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्दगीदार व जमानती के स्पष्ट पहचान वाले फोटोग्राफ्स अंकित किए जावेंगे तथा उनकी पहचान भी अंकित की जावेगी।

(4) प्रकरण के अंतिम निर्णय के समय यदि न्यायालय वाहन जप्ती के आदेश देगा तो प्रार्थी वाहन न्यायालय में पेश करेगा।

(5) प्रार्थी इस आशय की अन्डरटेकिंग न्यायालय के समक्ष पेश करेगा कि वह ताफैसला उक्त वाहन को अन्य किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा और ना ही उसमें ऐसा कोई

परिवर्तन करेगा, जिससे उसकी पहचान ना हो सके।

(6) प्रार्थी इस आशय की अन्डरटेकिंग भी न्यायालय के समक्ष पेश करेगा कि प्रार्थी उक्त वाहन को अन्य किसी आपराधिक कृत्य में काम में नहीं लेगा।

उक्त शर्तों की पालना करने पर इस प्रकरण में जब्तशुद **वाहन मोटरसाईकिल हीरो रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13 आरएस 3564** यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो प्रार्थी **हुसनप्रीत सिंह** को सुपुर्दगी पर दे दिया जावे। उपरोक्त शर्तों की पालना होने पर इस बाबत संबंधित थाना को पृथक से तहरीर जारी हो।

(अजय कुमार भोजक)

9. आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)

SUNENA

Steno Gr.III
"Authenticated document"
Digitally signed by SUNENA
Date: 2026.03.24 16:27:37 +0530